न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुनरीक्षण निग0 4192-I-14

श्रीमती अनवरी खातून पत्नी स्व0 श्री जमाल अहमद आयु- 49 साल, निवासिनी- सिद्ध गणेश मार्ग, छतरपरु, जिला छतरपुर, म0प्र0 ---आवेदिका

दिनांक 15-12-14 को श्री जे० एस० गौड़ अभि० द्वारा प्रस्तुत।

15-12-14

बनाम

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय छतरपुर, जिला छतरपुर, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, म0प्र0
3. अरूण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री गोकुल चन्द श्रीवास्तव आयु- 55 साल निवासी- पुरानी गैस एजेन्सी के पास, श्रीवास्तव नर्सिंग होम, छतरपुर, जिला छतरपुर, म0प्र0 -- अनावेदकगण

15/12/14

शासकीय अधिवक्ता (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

जे.एस.गौड़
एडवोकेट
नया बाजार ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 12/10/2011 पारित द्वारा न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील छतरपुर, म0प्र0 के प्रकरण कमांक 01/अ-3/2011-12 व उनवान अरूण कुमार श्रीवास्तव बनाम म0प्र0 शासन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला—छतरपुर

प्रकरण कमांक—निगरानी—4192—एक / 2014

श्रीमती अनवरी खातून विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जे.एस. गौड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील—छतरपुर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01 / अ—3 / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 12—10—2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03—05—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 6/3/19	